न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 140/2015 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2015/00152**

1. कानाराम पुत्र स्व डालुराम जाति बावरी निवासी 2 के.डब्ल्यू.एम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. मंगलाराम पुत्र स्व डालुराम जाति बावरी निवासी 2 के.डब्ल्यू.एम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
3. पृथ्वीराज पुत्र स्व डालुराम जाति बावरी निवासी 2 के.डब्ल्यू.एम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
4. भवंरी बाई पुत्री स्व. डालुराम पत्नि मलफुलाराम जाति बावरी निवासी 10 बी.डी तहसील खाजुवाला।
5. तीजा देवी पुत्री स्व. डालुराम जाति बावरी पत्नि मुंशीराम निवासी पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ़।।
6. रामी बाई पुत्री स्व. डालुराम पत्नि ओमप्रकाश निवासी कालवासिया तहसील सादुलशहर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. प्रभूराम पुत्र श्री मनीराम जाति बावरी निवासी 2 के.डब्ल्यू.एम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. सोहनलाल पुत्र श्री चरणदास जाति बावरी निवासी 2 के.डब्ल्यू.एम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
3. रामकुमार पुत्र श्री बृजलाल जाति बावरी निवासी 2 के.डब्ल्यू.एम तहसील खाजुवाला जिंला बीकानेर।
4. राजकुमार पुत्र श्री लालचन्द जाति बावरी निवासी 2 के.डब्ल्यू.एम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार राजसिहनगर।
6. अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री बालकिशन शर्मा — अभिभाषक अपीलांट्स
श्री नायबसिंह — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 4

निर्णय

दिनांक 18.03.2024

संभागीय आयुक्त बीकानेर

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 30.09.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि ग्राम रामसरा कुम्हारान पटवार हल्का 71 एन पी तहसील रायसिंहनगर में पत्थर नं. 254/325 मुरब्बा नं. 201 की किला 1 ता 25 बीघा अपीलांट के पिता डालूराम के नाम दर्ज खातेदारी कृषि भूमि है। रेस्पोडेन्ट्स

संख्या 1 ता 4 ने तहसीलदार रायसिंहनगर के समक्ष गैर रजिस्टर्ड वसीयत प्रस्तुत कर अपने पक्ष में इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार रायसिंहनगर ने उक्त प्रार्थना–पत्र पर वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 4 के पक्ष में इंतकाल संख्या 1048 दिनांक 15.05.2015 दर्ज कर दिया। अपीलांट्स ने तहसीलदार रायसिंहनगर के इंतकाल संख्या 1048 दिनांक 15.05.2015 के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर समक्ष अपील प्रस्तुत की। अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने अपील यह कहते हुए अस्वीकार कर दी कि अपीलाट्स को यदि कथित वसीयत के संबंध में आपत्ति है तो उसे सक्षम सिविल न्यायालय में विधिक कार्यवाही कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 30.09.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलाधीन भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ड संख्या 1 ता 4 द्वारा इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार रायसिंहनगर के समक्ष प्रस्तुत किया, उसमें हल्का पटवारी से रिपोर्ट मांगने पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट में उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर में वाद नं. 138/14 हुक्माराम बनाम डालूराम विचारधीन होना बताया, जिसमें उपखण्ड़ अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा निषेधाज्ञा का आदेश पारित हैं। उक्त निषेधाज्ञा व जमाबन्दी में नोट लगे होने के बावजूद तहसीलदार रायसिंहनगर ने इंतकाल संख्या 1048 दिनांक 15.05.2015 को दर्ज कर दियां। वादगत भूमि बाबत वाद वसीयतकर्ता के जीवनकाल में भी विचारधीन थां तथा निषेधाज्ञा भी थी, इसलिए वसीयतकर्ता पर विरूद्ध सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम 1818 धारा 52 लिसपेडेन्सी ऑफ सूट का सिद्धान्त लागू होने से वसीयत कर्ता को न तो वसीयत करने का अधिकार था और ना ही दावा पेन्डिग रहते रेस्पोडेन्ट्स 5 ता 6 को वसीयत के संबंध में किसी भी प्रकार की नामान्तरकरण संबधी कार्यवाही करने का अधिकार था। वसीयत के अधिकार को सिविल न्यायालय ही तय कर सकता है। सिविल न्यायालय द्वारा वसीयत के अधिकार तय हो जाने के पश्चात ही सिविल न्यायालय के निर्णय के आधार पर ही नामान्तरकरण किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर को यह संज्ञान में था की उक्त वादग्रस्त भूमि के बाबत वाद विचारधीन है जब तक वसीयत के अधिकार विचारधीन है, तब तक नामान्तरकरण वारिसान के नाम ही होना चाहिए। उक्त सभी तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए वसीयत का नामान्तरकरण संख्या 1048 दिनांक 15.05.2015 दर्ज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर ने इंतकाल संख्या 1048 दिनांक 15.05.2015 सही माना है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.09.2015 निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निम्नलिखित आर.आर.टी. का हवाला दिया हैं

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

1. आर.आर.टी. 2011(1) पेज संख्या 646
2. आर.आर.टी. 2004(2) पेज संख्या 1140
3. आर.आर.टी. 2014(1) पेज संख्या 196
4. आर.आर.डी. 2024(1) पेज संख्या 25

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस के दौरान कथन किया कि विवादित भूमि को इंतकाल वसीयत के आधार पर किया है। जब तक सक्षम

अदालत द्वारा वसीयत शून्य घोषित नही होती तब तक उनके आधार पर किया गया इंतकाल निरस्त नही जा सकता है। यह कानून का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अपीलांट को वसीयत के विरूद्ध सिविल न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर रायसिंहनगर के स्थगन आदेश में विवादित भूमि को रहन व बैय ने करने का आदेश था ना कि वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का। अधिनस्थ न्यायालय ने इंतकाल दर्ज कर स्थगन आदेश की अवमानना नही की है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर ने विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए इंतकाल दर्ज किया है। विवादित भूमि का कब्जा भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के पास है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने भी तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा दर्ज नामान्तकरण संख्या 1048 दिनांक 15.05.2015 को सही माना है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में निम्नलिखित आर.आर.डी. का हवाला दिया हैं

1. आर.आर.डी. 2001 पेज संख्या 57
2. डी.एन.जे 2002 पेज संख्या 83
3. आर.आर.डी 2014 पेज संख्या 612

4— हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादग्रस्त भूमि के संबंध में एक वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। जहां से वसीयत संबंधी अधिकारों का निर्णय होना है। जब तक वसीयत के अधिकार सिविल न्यायालय में तय नहीं हो जाते तब तक वसीयत के आधार पर दर्ज इंतकाल खारिज करना उचित नहीं समझतें। अतः अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 30.09.2015 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 18.03.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/3/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर